छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक / एफ 5—38 / 2023 / 10—2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 05/ 06 / 2024

प्रति,

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
उप कार्यालय, अरण्य भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ — 492015।

विषयः— Diversion of 37.973 ha of forest land for non-forest purpose under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of PWD (B&R) Division Dhamtari proposed for Upgradation renewal and Widening work of Megha-Singpur-Dugli Road i/c culvert and bridge work, total length 35 km within the 23.715 km length of road is proposed under the Forest land diversion in Dhamtari Forest Division, Dhamtari District in the State of Chhattisgarh- regarding.

संदर्भः—1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक FC-8/5/2024-IRO-RAIPUR/1593, दिनांक 29.02.2024।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) का पत्र क्र. / भू—प्रबंध / विविध / 115—921 / 1244, दिनांक 21.05.2024।

******

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 दिनांक 29.02.2024 के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

2/— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 2, दिनांक 21.05.2024 के माध्यम से उक्त वांछित जानकारी प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्नको सहित उचित कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

KL 05/06/24
(के.एल.मांझी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5—38 / 2023 / 10—2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक / 06 / 2024

प्रतिलिपिः—

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

D/FCA/ Latter-N/Lalit

4881

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–921/ 1244 नया रायपुर, दिनांक 21/05/2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
छत्तीसगढ़

विषय :– **Diversion of 37.973 ha. of forest land for non-forest purpose under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of PWD (B&R) Division Dhamtari proposed for Upgradation renewal and Widening work of Megha-Singpur-Dugli Road i/c culver and bridge work, total length 35 km within the 23.715 km length of road is proposed under the Forest land diversion in Dhamtari Forest Division, Dhamtati District in the State of Chhattisgarh-reg.**

संदर्भः–
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-8/5/2024- IRO/ Raipur/ 1593 दिनांक 29.02.2024
2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–38/ 2023/ 10–2 दिनांक 22.03.2024.
3. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक अधि/ विविध/ 4665 दिनांक 06.05.2024

= 0 =

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र–1 के माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा 5 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है, जिसकी संसूचना संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुई है।

संदर्भित पत्र –3 के माध्यम से जानकारी मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

स.क्र.	बिन्दु क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
1	User Agency shall submit the map and KML file of the entire alignment highlighting forest area proposed for diversion and location of all structures (Bridge, Box culverts etc).	आवेदक संस्थान द्वारा मेघा–सिंगपुर–दुगली प्रस्तावित मार्ग के संपूर्ण लंबाई का .kml file तैयार कर वनक्षेत्र को हाई–लाईट करते हुए ब्रीज एवं बॉक्स कल्वर्ट की स्थिति .kml file में दर्शित किया गया है। .kml file सी.डी. में संलग्न है।
2	Consolidated single KML file of the entire road alignment under the instant proposal highlighting the proposed forest area for diversion needs to be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा पूरे प्रस्तावित मार्ग का .kml file जिसमें प्रभावित वनभूमि, जिसका व्यपवर्तन प्रस्तावित है, को हाई–लाईट करते हुए सी.डी. में संलग्न किया गया है।
3	In KML file of the proposed road in the high-resolution Google Earth its	प्रस्तावित मार्ग सीतानदी अभ्यारण्य की सीमा से 10 कि.मी.

	appears that proposed road is passing through PAs area of Sitanadi Wildlife Sanctuary. Map with 10 Km radius of PA needs to be submitted	परिधि से दूर स्थित है. प्रस्ताव में संलग्न वन आवरण मानचित्र में प्रस्तावित मार्ग के 10 कि.मी. परिधि का क्षेत्र पर्पल रंग के बोल्ड लाईन से चिन्हित है (FMIS) द्वारा प्रदायित वन आवरण मानचित्र सी.डी. में संलग्न है)। साथ ही आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित मार्ग को उदन्ती सीतानदी अभ्यारण्य की सीमा से High Resolution गूगल अर्थ में Superimpose कर मानचित्र संलग्न किया गया है,जिसके अनुसार उक्त प्रस्तावित मार्ग अभ्यारण्य की सीमा से 24.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है. जिसकी पुष्टि वनमंडल कार्यालय द्वारा किया जाता है। मानचित्र की प्रति **(संलग्नक–1)** के रूप में संलग्न है। प्रस्तावित मार्ग एवं उदन्ती सीतानदी अभ्यारण्य की सीमा की आकाशीय दूरी को दर्शाता हुआ .kml file भी सी.डी. में संलग्न है।
4	Compensatory afforestation has been proposed over 76.00 ha. degraded Reserve Forest land in two patches in compartment no. RF-287 - patch-1 (24.00 ha) and patch-2 (52.00 ha). But KML of 54.00 He is not visible on the Parivesh Portal	प्रकरण में प्रभावित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु दुगुने बिगडे वनक्षेत्र महासमुंद वनमंडल के पिथौरा परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक RF 287 में 76.00 हेक्टेयर दो खंडों (भाग–1, 24.00 हे. तथा भाग–2, 52.00 हे.) का चयन किया गया है। क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित उक्त क्षेत्र का .kml file परिवेश पोर्टल में अपलोड किया गया है, जो कि पोर्टल में दर्शित है, खुल रहा है। साथ ही सी.डी. में संलग्न प्रेषित है।
5	Concerned DFO has mentioned in Part-II and site inspections report that some rare and endangered species of flora and fauna are found in the area. In this regard user agency needs to submit a conservation plan with consultation of the State Forest Government of Chhattisgarh.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित मार्ग के निर्माण में प्रभावित वनभूमि के आस–पास वनक्षेत्र में पाये जाने वाले दुर्लभ एवं विलुप्तप्राय प्रजाति के वनस्पति एवं जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वन विभाग के परामर्श से योजना तैयार कर प्रकरण के प्रथम चरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने तथा उसके क्रियान्वयन हेतु वांछित राशि वन विभाग के पास जमा किये जाने संबंधी वचन पत्र संलग्न किया गया है। **(संलग्नक–2)**

मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त से बिन्दुवार प्राप्त प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (2 प्रतियों में) मय सी.डी.

अ.प्र.मु.व.सं (भू – प्रबंध/वन (सं एवं सं)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–921/1245 नवा रायपुर, दिनांक 21/05/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, धमतरी वन मंडल, धमतरी, छत्तीसगढ़।
3. **कार्यपालन अभियंता**, लोक निर्माण विभाग संभाग धमतरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.सं (भू – प्रबंध/वन (सं एवं सं)
छत्तीसगढ़